

Organizational Set-up and responsibilities

विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

1.1 विभाग में मुख्य अभियन्ताओं के 6 पद, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के 16 पद, अधीक्षण अभियन्ताओं (सिविल) के 60 पद, अधिषाषी अभियन्ताओं (सिविल) के 324 पद एवं सहायक अभियन्ताओं (सिविल) के 1036 पद स्वीकृत हैं।

1.2 विभाग का संगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार से है:-

1.2.1 मुख्यालय पर

1.2.1.1 मुख्य अभियन्ता

1.2.1.1.1 मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव

प्रशासन, संस्थापन, उद्यान, यांत्रिक तथा श्रमिकों के संस्थापन कार्य, अंकेक्षण व विधिक मामले, विधानसभा सम्बंधित कार्य तथा मुख्य अभियन्ताओं में समन्वय का कार्य।

1.2.1.1.2 मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय उच्च मार्ग/भवन)

राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि तथा परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएँ। राज्य योजना व गैर योजना मद में भवनों के कार्य।

1.2.1.1.3 मुख्य अभियन्ता (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना व राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना के कार्य।

1.2.1.1.4 मुख्य अभियन्ता (सड़क)

राज्य योजना एवं गैर योजना मद के सड़क कार्य।

1.2.1.1.5 मुख्य अभियन्ता (विषिष्ट योजनाएँ)

डिपोजिट कार्य, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सांसद एवं विधायक कोष, महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम व अकाल व बाढ़ राहत कार्य।

1.2.1.1.6 मुख्य अभियन्ता (गुण नियंत्रण)

विभाग के सभी गुण नियंत्रण खण्डों का निरीक्षण व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दिषा निर्देश जारी करना।

1.2.1.1.7 अन्य विभागों में पदस्थापित मुख्य अभियन्ता

एक पद मुख्य अभियन्ता (प्रबन्ध निदेशक) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम में एवं एक पद मुख्य अभियन्ता आर.एच.एस.डी.पी. में प्रतिनियुक्ति का उपलब्ध है।

1.2.1.2 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

मुख्यालय पर एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रशासन, एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता बी.ओ.टी., एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ओपीआरसी, एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता विष्व बैंक व एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पीपीपी कार्यों हेतु, पद स्वीकृत है।

1.2.1.3 वास्तुविद

मुख्य वास्तुविद एक, वरिष्ठ वास्तुविद दो, उप वास्तुविद चार और सहायक वास्तुविद के छः पद स्वीकृत है। एक मुख्य वास्तुविद एवं एक वरिष्ठ वास्तुविद राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम व एक वरिष्ठ वास्तुविद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

1.2.1.4 लेखा सेवा

वित्तीय सलाहकार एक, मुख्य लेखाधिकारी का एक, वरिष्ठ लेखाधिकारी दो, लेखाधिकारी चार एवं सहायक लेखाधिकारी के तीन पद स्वीकृत है।

1.2.1.5 अधीक्षण अभियन्ता

मुख्यालय पर 10 अधीक्षण अभियन्ता क्रमशः अधीक्षण अभियन्ता व तकनीकी सहायक-प्रथम (संस्थापन), सड़क, विष्व बैंक, भवन, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विषिष्ट योजनाएँ, बी ओ टी, व यातायात कार्यरत है। 4 पद अधीक्षण अभियन्ता के पीपीपी सैल के लिए स्वीकृत है।

1.2.2 क्षेत्रीय स्तर पर

विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर 8 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं क्रमशः जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर के पद स्वीकृत हैं।

1.2.3 जिला स्तर पर

विभाग में सभी 33 जिला मुख्यालयों पर अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के कार्यालय है। इसके अतिरिक्त जयपुर में एक ग्रामीण वृत्त व चार एन. एच. वृत्त क्रमशः जयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा में हैं।

1.2.4 खण्ड स्तर पर

विभाग में सिविल खण्डों (राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड सहित) की संख्या 169 है। प्रत्येक खण्ड का प्रभारी अधिकारी एक अधिशाषी अभियन्ता होता है। प्रत्येक खण्ड के अधीन चार से दस उपखण्ड हैं। कुल सिविल उपखण्डों की संख्या 731 है। प्रत्येक उपखण्ड का अधिकारी सहायक अभियन्ता होता है। इसके अतिरिक्त 6 अधीक्षण अभियन्ता एसआई व क्यूसी एवं सभी जिला मुख्यालयों पर 33 सर्वे गुण नियन्त्रण खण्ड कार्यरत है जिनके अधीन 39

उपखण्ड हैं। ये समस्त खण्ड एवं उपखण्ड भी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्यरत हैं।

1.2.5 अन्य

1.2.5.1 मुख्यालय पर एक केन्द्रीय प्रयोगशाला व अन्य 5 जनों में प्रयोगशाला एवं सभी जिलों में प्रयोगशाला कार्यरत हैं।

1.2.5.2 विभाग में 2 अतिरिक्त मुख्य अभियन्तों (विद्युत) एवं 5 अधीक्षण अभियन्ताओं (विद्युत) में से दो जयपुर एवं एक-एक कोटा, उदयपुर तथा जोधपुर में कार्यरत हैं। इनके अधीन राज्य में 14 अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) खण्डीय कार्यालय भी कार्यरत हैं जिनके अधीन 37 उपखण्डों के कार्यालय हैं।

1.2.5.3 विभाग में 2 अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) एक जयपुर में एवं एक जोधपुर में कार्यरत हैं। इनके अधीन 7 अधिशाषी अभियन्ता खण्डीय कार्यालय में कार्यरत हैं जिनके अधीन 26 उपखण्डों के कार्यालय हैं और प्रत्येक उपखण्ड का कार्य सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की देखरेख में होता है।

1.2.5.4 विभाग के अधीन एक उद्यान शाखा है जिसका मुख्य अधिकारी उद्यानविज्ञ है। उद्यानविज्ञ के अधीन 3 वरिष्ठ उद्यान अधीक्षक जिनके मुख्यालय जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर व 4 उद्यान अधीक्षक हैं जिनमें दो का मुख्यालय जयपुर, एक का झालावाड़ एवं एक का अलवर में स्थित है।

1.2.5.5 विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर कुल 10 संभाग में से 7 संभाग में एक-एक वरिष्ठ लेखाधिकारी व 1 संभाग में लेखाधिकारी का एक पद स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संभाग में एक-एक पद व 44 वृत्त कार्यालयों में एक-एक पद सहायक लेखाधिकारी के स्वीकृत हैं।

1.2.5.6 न्यायालयों में चल रहे विवादों के सुचारु रूप से निपटारे के लिए मुख्यालय पर एक विधि प्रकोष्ठ स्थापित है जिसका प्रभारी संयुक्त विधि परामर्शी है।

1.2.5.7 विभाग के अधीन एक पद वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी का स्वीकृत है। ये विभाग के कार्यप्रभारी कर्मचारियों के संस्थापन का कार्य एवं उनके कोर्ट केसेज आदि के कार्यों को देखते हैं।

1.2.5.8 विभाग के अधीन एक पद जनसम्पर्क अधिकारी का स्वीकृत है।